

प्रपत्र संख्या 4  
विक्रय की उद्घोषणा  
(नियम 29 व 54)

न्यायलय खनि अभियन्ता (वर्गली), खान एवं गृ-गिरजान विभाग, अजमेर की धारा 230-235-237 के अधीन चूक करने वाले श्री अरविन्द गर्ग पुत्र श्री राधेश्याम गर्ग प्र० श्री अरविन्द मिनरल्स निवासी अभियन्ता नगर चौरसियावास रोड अजमेर द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क लगान का खर्च, तथा विक्रय का खर्च जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये मैलाय अनुसूची में वर्णित, कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दी गई है, विक्रय सार्वजनिक वीलाम स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय खनि कार्यदेशक श्री शिवौन बिटो के द्वारा दिनांक 26.10.2021 को 11:00 AM बजे श्री अरविन्द गर्ग पुत्र श्री राधेश्याम गर्ग प्र० श्री अरविन्द मिनरल्स निवासी अभियन्ता नगर निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा। सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो बजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट व्यारे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चियत की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लॉट को तुरत नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीदार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्च के लिये तथा पुनः विक्रय कि कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजस्व बकाया हो।

(ख) खरीदार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय-मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्च निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब तो जा सकेगी और दोषी खरीदार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिये वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो देठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीदार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारत से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएँ नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों के लिये अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा युक्त से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाय जैसा कि सरकार उचित समझे।

### अनुसूची वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:- 7,88,36,744/-
2. कुर्की का खर्चा:- नियमानुसार।
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा:- नियमानुसार

योग:- 7,88,36,744/-

**तहसील व जिला अजमेर में मकान नम्बर 10, रॉयल कैसल बिल्डिंग के पास, क्षेत्रफल 164.12 वर्गगज का मकान समूहों (लॉटों) की संख्या:-**

**बेची जाने वाली सम्पत्ति:- बाकीदार का अभियन्ता नगर ग्राम चौरसियावास के खसरा नम्बर 1570,1571 तहसील व जिला अजमेर में मकान नम्बर 10, रॉयल कैसल बिल्डिंग के पास, क्षेत्रफल 164.12 वर्गगज का मकान।**

**राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व:-**

**भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप-धारा (3):-**

क्रमांक: खअ/अज/वसूली/2021/714

दिनांक:- 08/09/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, अजमेर।
2. तहसीलदार अजमेर।
3.  डॉ एमजीओएमएस को भेजकर निवेदन है कि उक्त निलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज, अजमेर को तामील कराने हेतु।
5. खनि कार्यदेशक शिवान ब्रिटो।
6. नगर निगम अजमेर
7. श्री अरविन्द गर्ग पुत्र श्री राधेश्याम गर्ग प्रो० श्री अरविन्द मिनरल्स निवासी अभियन्ता नगर चौरसियावास रोड अजमेर



08.09.21

को जारी किया गया।

*b*

खनि अभियन्ता (तहसील)  
खान एवं भू-विवाद विभाग अजमेर  
अजमेर (राज.)

विक्रय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अजमेर

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230-235-237 के अधीन चूक करने वाले श्री बाबूलाल माईन्स ऑनर बुद्धाराम व बलदेव पुत्र श्यामलाल धोबी, निवासी रेम्बुल रोड, अजमेर द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्च, तथा विक्रय का खर्च जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूचली में वर्णित, कुर्क की हुई समति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गय समूहों में सम्पति का विक्रय किया जायेगा।

**को 11:00 AM बजे** (स्थान-स्व. बाबूलाल माईन्स ऑनर मकान न. 1841/1 रेम्बुल रोड, अजमेर में) किया जायेगा। तथापि किसी भी लॉट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।  
सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट व्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा।
- वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में लॉट को तुरंत नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
- सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
- कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को रथगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
- चल सम्पति की दशा में, प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् युक्त दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
- (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पति की दशा में खरीदार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य, की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्च के लिये तथा पुनः विक्रय कि कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजस्व बकाया हो।

(ख) खरीदार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय-मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब की जा सकेगी और दोषी खरीदार सम्पति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिये वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीदार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारतों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के संबंध में खरीददार के अतिथिक अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या शृंगार भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाय जैसा कि सरकार उचित समझे।

### अनुसूची वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम:- 1,49,123/-
2. कुर्की का खर्च:-
- 3- विक्रय का या यदि सम्पति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्च:- नियुमानुसार

योग:- 1,49,123/-

**बेची जाने वाली सम्पति:-** स्व बाबुलाल माईन्स ऑनर मकान न. 1841/1 रेम्बुल रोड, अजमेर।  
समूहों (लॉटों) की संख्या:-

बेची जाने वाली सम्पति का विवरण:- मकान न. 1841/1 रेम्बुल रोड, अजमेर

राजस्थान एकट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजरक्त:-

भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एकट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप-धारा (3):-

क्रमांक: खअ/अज/वसूली/2021/ 72)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 08/09/21

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर, अजमेर।
2. तहसीलदार अजमेर।
3. डीएमजीओएमएस को भेजकर निवेदन है कि उक्त निलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना क्रिश्यनगंज, अजमेर को तामील कराने हेतु।
5. खनि कार्यदेशक शिवान ब्रिटो।
6. नगर परिषद अजमेर
7. बाकीदार स्व० श्री बाबुलाल (माईन्स ऑनर) पुत्र श्री बुद्धाराम व बलदेव पुत्र श्यामलाल धोबी, रेम्बुल रोड अजमेर।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 08.09.21 को जारी किया गया।



खनि अभियन्ता(वसूली)  
खान एवं मू-विज्ञान विभाग, अजमेर  
खान एवं मू-विज्ञान विभाग  
अजमेर (राज.)